भाग – 2
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या 07

1-	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद कौशाम्बी में पुरानी जी0टी0 मार्ग के आन्तरिक भाग के किमी0 161.800 से 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन मार्ग का निर्माण कार्य
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	थ्जला	कौशाम्बी
(iii)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कौशाम्बी
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	17.326 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
(vi)	हरियाली घनत्व	~~0.30~~ 0.4.
(vii)	प्रजाति–वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0–4 मीटर भी संलग्न किये जायें)	अनुसंलग्नक–
(viii)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	न्यूनतम
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	संरक्षित वन क्षेत्र पर
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उधान, वन्यजीव, अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हॉ तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीवन वार्डन की टिप्पणियॉ अनुबन्धित की जाये)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
2-	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कॉलम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जॉचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है / जिलाधिकारी, कौशाम्बी का प्रमाण–पत्र संलग्न है
3-	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य वन ब्यौरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
4-	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम वन ब्यौरा :–	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	संरक्षित वन भूमि पर।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र, आस–पास की सीमाओं को दर्शाता मानचित्र)	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के	संलग्न है।

(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोंण के सक्षम प्राधिकरण के प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वनेत्तर भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा।
5-	वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम–7 और 9 से पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	सर्वेक्षण रिपोर्ट में वर्णित है।
6-	विभाग / जिला प्रोफाइल	वन विभाग।
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	212400.00 हेक्टेयर या 2124 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	संरक्षित वन 3100.00 हेक्टेयर
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	06 मामले / ~~54.323 हेक्टेयर~~ 89.2945 हे0
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।	
	(क) दण्ड के रूप में क्षतिपूकर वनीकरण सहित वन भूमि	– 89.2945 हे0
	(ख) वनेत्तर भूमि (Non Forest Land)	–
(v)	वन प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति दिनांक तक	
	(क) वन भूमि पर	– 8754 पौधा
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	– नहीं
7-	प्रस्ताव को स्वीकृत करे अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	– प्रस्ताव स्वीकृत / Recommended.

वन क्षेत्राधिकारी

उप प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, कौशाम्बी

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कौशाम्बी